न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रा0पत्र 04/2019

प्रार्थीः—

1. श्री पोकरदास पुत्र श्री केसुदास जाति वैष्णव उम्र 65 वर्ष निवासी गुंदोज तहसील पाली जिला पाली

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. श्री कालुदास पुत्र श्री पोकरदास
2. श्रीमति ममता पत्नी श्री कालुदास
3. श्री विक्रम पुत्र कालुदास, जातिगण वैष्णव, निवासीगण गुंदोज, तहसील पाली जिला पाली।

उपस्थितिः—

1. श्री पोकरदास, प्रार्थी
2. श्री कालुदास एवं श्रीमति ममता अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 5 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

—:निर्णयः— दिनांक 9-01-2020

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी 65 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है एवं प्रार्थी की पत्नी केली का देहान्त आज से 35 वर्ष पूर्व हो चुका हैं।उस वक्त अप्रार्थी कालुदास 5—6 वर्ष का था। प्रार्थी ने कालुदास को बड़े लाड प्यार से बड़ा किया एवं उसको पढ़ाया व लिखाया तथा अप्रार्थी कालुदास की शादी अप्रार्थी संख्या 2 से करवाई उक्त शादी मे प्रार्थी ने सोने का टिका, फीणी, अंगुठी व सोने की चैन व 1 किलो चांदी के जेवरात चढ़ाये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के रहवास सहवास से अप्रार्थी संख्या 3 उत्पन्न हुआ। प्रार्थी स्वयं खाने कमाने की स्थिति में नहीं है। प्रार्थी स्वयं कमाकर भरण पोषण करने की स्थिति में नही है। प्रार्थी पूर्ण रूप से असहाय है तथा घर पर आराम करता है लेकिन खाने पीने व भरण पोषण करने मे पूर्ण रूप में असमर्थ है। प्रार्थी के कुल 4 संतान है जिसमें अप्रार्थी कालुदास, गिरधारी व सजकी व शांति है जो शादीसुदा है तथा गिरधारी प्रार्थी की देखरेख व सेवा चाकरी करता है। शांति अपने ससुराल हेमावास में रहती है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को पूर्ण विश्वास मे लेकर यह कहते हुये कि गुन्दोज की सम्पति गिरधारी के रही ओर अप्रार्थी कालुदास ने प्रार्थी को यह कहा कि उसे पाली में गुन्दोज की सम्पति के बदले में दुसरा पक्का मकान दिला दो तब दिनांक 18.11.2014 को प्रार्थी ने 15 लाख रूपये कालुदास को दिये एवं अप्रार्थी कालुदास ने 10 लाख रूपयें मिलाये इस प्रकार कुल मिलाकर 25 लाख रूपयें में दो खण्ड का नया मकान बनाकर कालुदास को नया गांव में दिया सबूत के तौर पर रजिस्ट्री की नकल साथ सलग्न हैं। उस वक्त प्रार्थी के साथ में भंवरलाल पुत्र पुनम जी मीणा निवासी कानेलाव साथ मे था इसके अलावा भी प्रार्थी ने आज से 15 वर्ष पहले दाणु मुम्बई (महाराष्ट्र) में एक दुकान 5 लाख रूपये मे खरीद कर अप्रार्थी कालुदास को दी। अब प्रार्थी के पास में भरण पोषण करने के लिये कुछ भी नहीं है। अप्रार्थी कालुदास उसकी पत्नी अप्रार्थीया ममता व कालुदास का पुत्र अप्रार्थी विक्रम प्रार्थी के साथ मारपीट करते है तथा प्रार्थी की किसी प्रकार से सेवा चाकरी, देखरेख नही करते है तथा प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की यातनाये देते है एवं अपमानित करते है। प्रार्थी को अप्राथीगण रोटी नही देते है, बीमार पड़ने पर उसका ईलाज नही कराते है तथा प्रार्थी के कपड़े भी नहीं बनवाते है। अप्रार्थी कालुदास व उसकी पत्नी ममता प्रार्थी के साथ मारपीट करते हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण उसके गुन्दोज स्थित मकान से बेदखल करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ मारपीट करते हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण उसके गुन्दोज स्थित मकान बेदखल करना चहते है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी का कहते है कि तुझे समाज मे इतना बदनाम कर देगे की तु अपने आप ही आत्महत्या कर लेगा। प्रार्थी के साथ में अप्रार्थीगण ने कई बार मारपीट की व अपमानित

Rahul
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

किया है ओ कर रहे है। वर्ष 2018 में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के मकान के अंदर घुसकर मारपीट की ओर उक्त मकान छोड़ने हेतु प्रार्थी को मजबुरन किया तथा कई कोरे कागजो पर जबरदस्ती से अंगुठे करवाये। अप्रार्थीगण प्रार्थी को तरह तरह से तंग व पेरशान कर रहे है ताकि प्रार्थी या तो स्वयं जहर खा ले या आत्महत्या कर ले। प्रार्थी ने मजबुर होकर अप्रार्थी कालुदास व ममता के विरूद्ध पुलिस थाना गुड़ा एंदला में मुकदमा दर्ज करवाया है जिसकी फोटो कोपी साथ संलग्न है। जाने माल की सुरक्षा हेतु प्रार्थी ने अलग से मुकदमा दर्ज करवाया जिसकी भी कोपी संलग्न है। प्रार्थी का कब्जासुदा, पट्टासुदा तथा बिजली व पानी की सुविधाओ से युक्त मकान गांव गुन्दोज में स्थित है जिसके मिसल संख्या 13/2017–2018 पट्टा संख्या 21 दिनांक 27.12.2018 है। उक्त मकान में अप्रार्थीगण प्रार्थी से जबरदस्ती मारपीट कर प्रार्थी को बाहर निकालकर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते है। इस स्थिति में अप्रार्थीगण को उक्त मकान से हमेशा हमेशा के लिये बेदखल करने के आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। दिनाक 12.04.2019 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को अपनी सम्पत्ति से बेदखल करने हेतु अखबार मे आम सूचना प्रकाशित करवाई जिसकी कोपी पेश की हैं। दिनांक 17.04.2019 को करीब 4–5 बजे प्रार्थी अपने कब्जासुदा, पट्टासुदा मालिकाना के रहवासीय मकान मे स्नान कर कपड़े धो रहा था। इतने में अप्रार्थी कालुदास व ममता प्रार्थी की बिना सहमति के मकान मे घुसे ओर प्रार्थी के साथ मारपीट की व प्रार्थी को लूंगी पहने हुये को पकड़कर धक्का मुक्की की एवं अपमानित करते हुये नाजायज रूप से घर से बाहर निकाल दिया व मकान पर कब्जा कर दिया तब प्रार्थी लूंगी पहने हुये पुलिस चौकी गुन्दोज गया लेकिन वहां पर कोई स्टाफ नही मिलने से कोई कार्यवाही नही हुई तब दिनांक 18.04.2019 को प्रार्थी पुलिस अधीक्षक पाली व श्रीमान को रिपोर्ट पेश की जिस पर श्रीमान द्वारा थानाधिकार गुड़ा एन्दला को निर्देश दिया। प्रार्थी गुड़ा एन्दला थाने व गुन्दोज पुलिस चौकी गया तब पुलिस अप्रार्थीगण को पकड़ने गई लेकिन अप्रार्थीगण गांव गुन्दोज छोड़कर कही छिप गये तब प्रार्थी ने अपने मकान पर अपना ताला लगाया। जिस पर दिनांक 19.04.2019 को अप्रार्थीगण के मकान का ताला तोड़कर उस पर अपना कब्जा कर लिया है तथा प्रार्थी को उसके मकान मे घुसने नही दे रहे है तथा प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट कर रहे है। अप्रार्थीगण बार बार उपरोक्त अपराध व घटनाये कारित करते है जिससे प्रार्थी को चक्कर आ जाते है तथा हर समय ये ही भय रहता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को मारपीट करेंगे। अप्रार्थी कालुदास के बैगलौर मे होलसेल में गैस व स्टील के बर्तनो, कॉस्मेटीक की दुकाने है जिससे तमाम खर्चा निकालकर अप्रार्थी प्रतिमाह 1,00,000/– रूपये कमा लेता है। अप्रार्थी विक्रम अपने पिता कालुदास के साथ मे धंधा करता है। अप्रार्थी विक्रम अपने बदमाश दोस्तो को बैगलोर से लेकर आया व प्रार्थी के मकान मे घुसकर कहा कि ये मकान मेरे बाप का है यदि तुमने उक्त मकान नही छोड़ा तो हम तुझे खत्म कर देगें। प्रार्थी के पास आय का कोई जरिया नही है। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक प्रार्थी का कोई भरण पोषण नहीं किया न ही करना चाहते है तथा प्रार्थी किसी प्रकार काम करने मे भी सक्षम नही है जिससे वह अपना भरण पोषण करने मे असमर्थ है। अप्रार्थीगण का व्यवहार प्रार्थी के प्रति दिन प्रति दिन क्रुरतपूर्ण हो गया है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी को घर से निकल जाने के लिये तरह तरह से यातनाये देकर परेशान करते है तथा दिन रात गाली गलौच करते है तथा घर से बाहर निकल जाने के लिये धमकाते है। अप्रार्थीगण के कब्जे से प्रार्थी का मकान मुक्त कराया जावे। अप्रार्थीगण को पाबन्द करे कि वे प्रार्थी के मकान मे ताजिन्दगी प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा नही डाले न ही प्रार्थी के मकान मे कब्जा करने का प्रयास ही करे। अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो श्रीमान उचित समझे प्रार्थीगण को प्रदान करावे।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 विक्रम अवयस्क है। मात्र साढे 16 वर्ष का आयु है तथा जन्मतिथि 25.06.2002 है। अप्रार्थी संख्या 3 विक्रम विरूद्ध चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी पोकरदास जी स्वयं मंदिर हनुमानजी घाचियों का बास तथा रजपूतों के बास में ठाकुरजी के मंदिर की पूजा तथा सेवा चाकरी करते है। उसका सम्पूर्ण चढ़ावा प्राप्त करते है। गांव गुन्दोज तथा तोगावास के देवासी समाज तथा हाथलाई

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

के रजपूत समाज के कुल 150 से अधिक परिवारों से प्रतिमाह अमावस्या व पूर्णिमा को सीधा व दान तथा उक्त दोनो मंदिरों के चढ़ावों से प्रतिमाह 13500/– से अधिक की निश्चित आय प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष होली पर कटने वाली फसल का उक्त प्रत्येक परिवार से एक माप अर्थात् करीब 7 किंलो गेहू, चना, रायड़े की फसल प्राप्त होती है। जिससे भी प्रतिवर्ष लगभग 11–12 बोरी उक्त तीनों फसलों की उक्त तीनो गांवो से प्राप्त होती है। प्रार्थी पिता 30–35 हजार रूपये की प्रतिमाह निश्चित कमाई मात्र उक्त दो जातियों के तीन गांव के पुजारी होने एवं खेती से प्राप्त कर रहे है। परन्तु प्रार्थी ने इस सभी तथ्यों को पूर्णतया छुताकर हस्तगत याचिका प्रस्तुत की है। इसी आधार मात्र पर प्रार्थी की यह याचिका खारिज योग्य है। अप्रार्थी ने दूसरा पुत्र गिरधारीदास भी है इस याचिका में गिरधारीदास को पक्षकार नही बनाया है। मात्र अप्रार्थीगण एवं उनके परिजनों को जो प्रारम्भ से ही बैंगलोर मे रह रहे है, को अकेले ही पक्षकार बना याचिका प्रस्तुत करना प्रथम दृष्टयो ही प्रार्थी की बदनियति प्रकट करने हेतु पर्याप्त है दूसरे पुत्र गिरधारीदास व उसकी पत्नि के पक्षकार नही होने से आवश्यक पक्षकारों के अभाव में यह याचिका चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी ने उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वर्ष 2014 के पूर्व समय समय पर भेजी गई राशि से गुन्दोज बस स्टेण्ड पर चौधरी समाज के भवन के पीछे दो प्लॉट खरीदे है जिनकी सम्मिलित बाउण्ड्री बनी हुई है, खरीदा है। उक्त प्लॉट को वर्तमान में प्रार्थी ने चारे के डिपो हेतु किराये पर दे रखे है और प्रतिमाह 3000/– रूपये कमा रहा है। प्रार्थी के पास गुन्दोज में दो पुश्तैनी मकान है, जिनमें से घाचियों के बास स्थित पुश्तैनी मकान में प्रार्थी रह रहा है तथा दूसरा मकान रजपूतों के झारवा बास में आया हुआ है, यह मकान वर्तमान में किराये पर दिया हुआ है, जिससे प्रतिमाह 2500/– किराया प्रार्थी प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रार्थी को प्रतिमाह लगभग 4000/– रूपये से अधिक की आय प्रार्थी स्वयं की निश्चित आय है। परन्तु उक्त सभी के संबंध में कथन छुपाकर प्रार्थी की प्रस्तुत यह याचिका इसी आधार मात्र पर खारिज योग्य है। 32 लाख रूपये में किराये की दुकान किराया चिट्ठी एवं माल सहित बेचकर जब प्रार्थी एवं भाई गिरधारीदास गुन्दोज आ गये। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता ने यह याचिका अप्रार्थी संख्या 1 को बबार्द करने एवं अपने दूसरे पुत्र गिरधारीदास की पत्नि श्रीमती संगीता के कहने से लगायी है। प्रार्थी पोकरदास के उक्त श्रीमती संगीता पुत्रवधु से अवैध संबंध है यह तथ्य भी सर्वविदित है। इसी कारण श्रीमती संगीता तथा अप्रार्थी तथा उसके परिवार को गुन्दोज आने ही नही देना चाहता है। अप्रार्थी तथा उसके परिवार के गुन्दोज आने से दोनों के संबंधो मे बाधा उत्पन्न होती है तथा उक्त संबंधो के कारण ही पिता/प्रार्थी पोकरदास अपने सम्पूर्ण सम्पत्ति अपने जीवनकाल मे ही गिरधारीदास व उसकी पत्नी संगीता को देना चाहते है तथा अप्रार्थी तथा उसके परिवार को उनकी पैतृक अर्थात दादा परदादा की सम्पत्ति एवं कृषि भूमि से वंचित करने के लिए दबाव बनाने की नियम से यह झुठी याचिका प्रस्तुत की है।

बचपन से ही अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी दादी श्रीमती छोगीबाई के साथ अपने छोटे भाई बहनो की देखरेख में व्यस्त होना पड़ा था एवं अप्रार्थी संख्या 1 की कमाई से एवं सीधे से प्राप्त होने वाली सामग्री से अप्रार्थी सहित उसके छोटे भाई बहनों का गुजारा चला है। प्रार्थी पूर्णतया स्वस्थ है तथा 40–45 हजार रूपयें प्रतिमाह अर्जित करता है। किसी भी प्रकार से प्रार्थी असहाय नहीं है। आज भी प्रार्थी सम्पूर्ण कार्य मंदिरों की सेवा पुजा, कृषि एवं हासल वसूली का कार्य अकेले कर रहे है। प्रार्थना पत्र में हस्तलिपि से किये गये सुधार भी प्रार्थी की पूर्णतया बदनियति होने तथा विरोध करने वाली पुत्री श्रीमती सजिया उर्फ सजकी के अस्तित्व से ही इंकार करने की होना स्पष्ट है एवं इसी कारण अपने अधिवक्ता को पहले मात्र तीन संताने होने का ही जानकारी देना स्पष्ट है कि गिरधारी की सेवा चाकरी व देखरेख करने के कथन भी भ्रामक रूप से किये गये है वास्तव में देखरेख गिरधारी द्वारा नहीं की जाकर उसकी पत्नी संगीता द्वारा उपरोक्तानुसार की जा रही है एवं की जा रही सेवा चाकरी (अनैतिक संतुष्टि) के बदले मे ही अप्रार्थी संख्या 1 को आर्थिक रूप मे उपरोक्तानुसार पूर्णतया बर्बाद के बावजुद अप्रार्थी कालूदास को उसके पूर्वजो की सम्पत्ति से भी वंचित कर देने एवं पूर्वजों के घर मे आने जाने से रोकने हेतु ही यह याचिका प्रस्तुत की है। गिरधारीदास वर्तमान में मुम्बई में 50–60 हजार रूपयें प्रतिमाह कमा रहा है। परन्तु जानबुझकर उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। दोनों पुत्रीया शादीशुदा है उन्हे भी जानबुझकर पक्षकर नहीं

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

बनाया है जिससे की वे न्यायालय मे आकर सही स्थिति नही बता सके। अप्रार्थीगण गुन्दोज में निवास ही नही करते है तो प्रार्थी को रोटी नही देने, बीमार पड़ने पर ईलाज नही करवाने अथवा कपड़े नही बनवाने के कथन पूर्णतया झुठे है। उत्तरदाता अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थी के साथ गाली गलौच नही की है। प्रार्थी ही अप्रार्थीगण की वर्ष में मात्र 10 दिन की घर में उपस्थिति ही बर्दाश्त नही कर पाने की बदनियमति एवं उपरोक्तानुसार अन्य आधारों के कारण ही यह झुठी याचिका अन्य उदेश्यों की प्राप्ति हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो इसी आधार मात्र पर खारिज योग्य है।

4. बहस उभयपक्ष को सुना गया।

5. बहस उभय पक्ष की सुनने के पाया कि प्रार्थी श्री पोकरदास पुत्र केसुदास जी के कुल चार (4) संतान है जिसमें क्रमशः कालुदास, गिरधारी, सजकी एवं शांति है। जिनमें से प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 कालुदास को ही प्रकरण में पक्षकार बनाया है। प्रार्थी श्री पोकरदास दास द्वारा गिरधारीदास व अन्य पुत्रीयों का प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रकरण मे उपलब्ध करायें गये दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी पोकरदास वर्तमान में पुजारी का कार्य कर रहे है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 जो की अवयस्क अर्थात् बालिग नहीं है। प्रार्थी की पुत्री श्रीमती शांति की आर्थिक हालात ठीक नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से भरण–पोषण लेना चाहते है जो कि न्यायाचित प्रतित नहीं होता है। प्रार्थीया की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी के पुत्र व पुत्री श्री कालुदास, श्री गिरधारीदास व श्रीमती सजकी को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी का यदि बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं हो तो खाता खुलवा कर प्रति माह प्रत्येक कालुदास 3000/– अक्षरे तीन हजार रूपयें, गिरधारीदास 3000/– अक्षरे तीन हजार रूपयें व सजकी 3000/– अक्षरे तीन हजार रूपयें कुल 9,000/– रूपये बतौर भरण–पोषण के जमा करवावें। बैंक/पोस्ट ऑफिस में उक्त राशि जमा करवा कर रसीद अपने पास बतौर सबूत रखें। आदेश की अवहेलना करने पर श्री कालुदास, श्री गिरधारीदास व श्रीमती सजकी के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जा सकेगी।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

यह आदेश आज दिनांक 09–01–2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.17 11:39:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: